

आजादी के अमृत महोत्सव अभियान की शुरुआत के तहत मिशन नगरोदय द्वारा विकास एवं निर्माण कार्यों की सौगात मिली कार्यक्रम के सीधे प्रसारण को नागरिकों ने देखा व सुना

रतलाम 13 मार्च | आजादी के अमृत महोत्सव अभियान की शुरुआत पर मिशन नगरोदय के तहत मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा वर्चुअल रूप से राज्य स्तरीय कार्यक्रम द्वारा रतलाम जिले के नगरीय निकायों में 843 लाख 58 हजार रुपए लागत के निर्माण कार्यों का शिलान्यास तथा 221 लाख रुपए लागत के निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया गया।

इस दौरान मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम से प्रसारित उद्बोधन का सीधा प्रसारण को अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल में जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, हितग्राही आदि ने एलईडी के माध्यम से देखा व सुना।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर भारत की आजादी के 75 वर्ष को समारोहपूर्वक मनाने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव अभियान की देशव्यापी शुरुआत 75 सप्ताह पूर्व 12 मार्च 2021 से की गई।

मिशन नगरोदय के तहत नगर निगम रतलाम द्वारा 7 हितग्राहियों को 10—10 हजार रुपए के बगैर ब्याज के ऋण वितरण प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत किए गए। राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत 4 स्वयं सहायता समूह को ऋण लाभ प्रदान किया गया।

अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल में कलेक्टर श्री गोपालचन्द्र डाड, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया, श्री राजेंद्रसिंह लुनेरा, श्री मनोहर पोरवाल, श्री प्रदीप उपाध्याय, श्री अशोक पोरवाल, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री भगतसिंह भदौरिया, श्री मंगल लोढ़ा, श्री दिलीप गांधी, श्री मयूर पुरोहित, श्री आदित्य डागा, श्री कृष्णकुमार सोनी, श्री देवेन्द्र वाधवा, श्री निर्मल कटारिया ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाषचन्द्र बोस के चित्र पर माल्यार्पण कर मिशन नगरोदय कार्यक्रम की शुरुआत की।

उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारिया, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, श्री जी.के. जायसवाल, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, सिटी मैनेजर श्री कपील मारोठिया, श्री नितिन तिवारी, सामुदायिक संगठिकाएँ, हितग्राही व नागरिक उपस्थित थे।

महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया

देश की आजादी के अमृत महोत्सव अभियान की शुरुआत के अवसर पर रतलाम में नगर निगम के सामने उद्यान में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। श्री राजेंद्रसिंह लुनेरा, कलेक्टर श्री गोपालचंद्र डाड, श्री मनोहर पोरवाल, श्री प्रदीप उपाध्याय, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री अशोक पोरवाल, निगमायुक्त श्री सोमनाथ झारिया तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा माल्यार्पण किया गया।

तन और मन के साथ ही शहर को भी स्वच्छ रखे

स्वच्छता जागरुकता व स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने कहा

रतलाम 13 मार्च | स्वच्छता तन, मन और विचार में होगी तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा। ठीक इसी तरह जब हमारा घर, मोहल्ला और शहर स्वच्छ होगा तो अपना शहर स्वस्थ भी होगा। अब स्वच्छता को सफाई से आगे इस सोच के साथ बढ़ाना चाहिए कि यह हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। यह सोच बदलेगी तो स्वच्छता का स्तर और भी ऊंचा होगा।

स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 के तहत नगर निगम आयुक्त श्रीसोमनाथ झारिया के निर्देश और मार्गदर्शन में शुक्रवार को आयोजित स्वच्छता जागरुकता और स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम में उक्त विचार प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारीएमके जैन ने व्यक्त किए।

श्रीजैन ने कहा कि संवाद में यह बात भी सामने निकलकर आई कि स्वच्छता का संस्कार हमारे मन में होना चाहिए। यदि पॉलिथीन पर बैन लगाती है तो हमें भी किसी से पॉलिथीन में सामान लेने की अपनी सोच बदलनी होगी। जब हम मना करेंगे तो देखते-देखते यह आदत में शामिल होगा। अब जरूरत है इस बात की भी है कि हम ऐसे लोगों को रोकना-टोकना शुरू करें, जो अभी भी इसके प्रति गंभीर नहीं हैं।

महिला एवं बाल विकास विभाग शहर परियोजना क्रमांक-1 की पर्यवेक्षक फिरदोस खान ने संबोधित करते हुए कहा कि खाली प्लॉट पर कचरा जलाने से लोगों को रोका जाना चाहिए। कार से थूकने वालों को भी सोचना चाहिए कि वे इस तरह की हरकत से समाज को क्या संदेश दे रहे हैं। सीनियर सिटीजन के प्रयास से हम लोगों को जागरूक कर सकते हैं।

हम नगर निगम के साथ मिलकर शहर को साफ-सुथरा बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सेल्फ अनुशासन नहीं रहेगा, तब तक शहर को स्वच्छ रखना मुश्किल है।

मूक बधिर स्कूल के वरिष्ठ शिक्षक सतीशचन्द्र तिवारी ने कहा कि स्वच्छ और स्वास्थ्य दोनों का आपस में तालमेल है। अगर स्वच्छता नहीं रहेगी तो हम स्वास्थ्य नहीं रह सकते। हमें पता होना चाहिए कि गंदगी से कौन-कौन सी बीमारियां होती हैं। एक समय था जब होटलों में कचोरी खाने के बाद कागज की प्लेट कोने में फेंक देते थे, लेकिन अब कहीं भी कचरा देखने को नहीं मिलता। स्वच्छता की भावना बनाए रखने के लिए हमें इंटरनेशनल क्लिनिंग डे और 2 अक्टूबर के दिनों को अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहिए। इस दिन स्कूल और कॉलोनियों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए बड़े आयोजन रखे जा सकते हैं।

शहर के फुटपाथ पर अतिक्रमण होने से भी कुछ जगहों पर कचरा देखने को मिलता है। शाम को लगने वाले ठेलों का कचरा कई बार फुटपाथ पर ही रह जाता है। शहर की हर गली स्वच्छ बनी रहे, इसके लिए अतिक्रमण हटाना होगा। जो दुकान संचालक कचरे को फेंकने की व्यवस्था नहीं करते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करनी होगी।

डॉ.शहनाज सैय्यद ने कहा कि हर कॉलोनी में स्वच्छता पर निगरानी रखने के लिए एक व्यक्ति तय किया जाना चाहिए। शहर में कई आयोजन होते हैं। इसमें पानी की बोतल, चाय के कप और फूलों की माला का उपयोग किया जाता है। इससे रोड पर कचरा फैलता है और वातावरण भी प्रभावित होता है। हम जब भी आयोजन करते हैं, उसमें ध्यान रखते हैं कि प्लास्टिक का सामान और फूलों की माला का उपयोग न हो।

स्पर्धाओं में महिलाओं और बच्चों ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया

स्वच्छता जागरूकता और स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम के दौरान रांगोली, निबंध,वाद-विवाद,भाषण,चित्रकला सहित आधा दर्जन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में सफल हुए प्रतियोगियों को अतिथियों ने प्रमाण पत्र,मोमेन्टों और बाल पेन देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान संचालन फिरदोस खान ने किया और आभार वंदना सौलकी ने माना।

वार्ड 14 व 41 को भी जीरो वेस्ट वार्ड बनाने की हुई शुरुआत नगर के 8 वार्ड बन चुके हैं जीरो वेस्ट वार्ड

निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड वार नियुक्त पर्यवेक्षकों की बैठक ली
जीरो वेस्ट वार्ड बनाने में नागरिकों का मिल रहा भरपुर सहयोग

रतलाम 13 मार्च | कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार रतलाम नगर को जीरो वेस्ट बनाये जाने के तहत वार्ड क्रमांक 3, 7, 8, 17, 18 व 19 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया गया है वहीं स्व सहायता समूह की रैग पिकर्स महिलाओं को शहर में ही रोजगार मिलने के साथ ही सूखे कचरे का निष्पादन भी हुआ।

वार्ड क्रमांक 3, 7, 8, 17, 18 व 19 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाये जाने की सफलता का देखते हुए निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने वार्ड क्रमांक 14 व 41 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के निर्देश दिये जिसके तहत 13 मार्च से कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा वार्ड क्रमांक 14 व 41 को जीरो वेस्ट वार्ड बनाये जाने के कार्य का निरीक्षण प्रातः क्षेत्रिय जनप्रतिनिधि, निगम अधिकारी, कर्मचारी आदि के साथ करीब 3 घन्टे तक किया गया। वार्डों को जीरो वेस्ट वार्ड बनाये जाने हेतु प्रत्येक वार्ड में 2-2 कचरा संग्रहण वाहन बिना हैल्पर प्रातः लगाये गये जिससे घर-घर से स्व सहायता समूह की रैग पिकर्स महिलाओं द्वारा गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक लिया गया। अब तक नगर के 49 वार्डों में से 8 वार्डों को जीरो वेस्ट वार्ड बनाया जा चुका है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने आयोजित 12 मार्च को आयोजित बैठक में जीरो वेस्ट वार्डों में किये जा रहे कार्यों की नियुक्त वार्ड पर्यवेक्षकों से सिलसिलेवार जानकारी प्राप्त कर निर्देशित किया गंदगी का मुख्य कारण है पॉलीथीन इसलिये 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन को पूर्णतः बंद किया जाना है इसके लिये सभी वार्ड पर्यवेक्षक, दरोगा, स्पॉट फाईन दल यह निगरानी रखें कि इसका भण्डारण कहाँ होता है व विक्रय कौन कौन करता है सही जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित की पॉलीथीन जब्त की जाकर फुटकर व्यवसायियों पर 50 व दुकानदारों पर 5000 का स्पॉट फाईन किया जाये साथ ही अब तक जब्त की गई 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन को जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर ले जाकर नष्ट किया जाये।

आयोजित बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने स्पॉट फाईन दल को यह भी निर्देश दिये कि नगर में बगैर मास्क के घुमने वाले व्यक्तियों पर 100-100 रुपये का स्पॉट फाईन सख्ती से किया जाये।

बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि नगर को गारबेज फ्री सिटी बनाने के लिये नगर में कहीं भी कचरा स्थान नहीं बने इसका विशेष ध्यान रखा जाये तथा खुले में कचरा फेंकने वालों पर जुर्माना किये जाने कार्यवाही में तेजी लाई जाये। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि सभी सड़को की स्वीपिंग कराई जाये साथ ही व्यावसायिक क्षेत्रों में रात्रिकालीन स्वीपिंग करवाई जाये साथ ही शहर के सार्वजनिक शौचालय, मुत्रालयों की नियमित धुलाई, सफाई, कीटनाशक दवा छिड़काव, प्रकाश, पानी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

जीरो वेस्ट वार्ड 3, 7, 8, 14, 17, 18, 19 व 41 में 2-2 कचरा संग्रहण वाहन बिना हैल्पर के पंहूचे वाहन के साथ दुर्गा व ईश्वर स्व सहायता समूह रैग पिकर्स महिला, आई.ई.सी. टीम के सदस्य, वार्ड पर्यवेक्षक, दरोगा, इंजीनियर आदि ने वार्ड के 100 प्रतिशत घरों पर जाकर नागरिकों से गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक प्राप्त कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक वाहनों में डाला। संग्रहित किये गये सूखे कचरे को एक स्थान पर खाली कर समूह की महिलाओं द्वारा कचरे की छंटती कर एकत्रित किया गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि स्व सहायता समूहों की रैग पिकर्स महिलाएँ अपना एवं अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिये अपने बच्चों के साथ जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर सूखे कचरे से प्लास्टिक, रबर, बॉटल व अन्य सामग्री अलग-अलग करके कबाड़ी को विक्रय कर नारकीय जीवन व्यतीत कर रही थी। जीरो वेस्ट वार्ड बनाने के तहत अब जुलवानिया की रैग पिकर्स महिलाओं को वार्डों में ही काम मिलने लगा है व इनकी सुरक्षा के लिये निगम द्वारा एप्रिन, ग्लबस, मास्क आदि उपलब्ध कराये गये हैं। इन्हे वार्ड में ही कार्य मिलने से इनके जीवन स्तर में सुधार होगा।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सौलकी, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास, श्री जी.के. जायसवाल, सहायक यंत्री श्री श्याम सोनी, श्री एम.के. जैन, श्री सत्यप्रकाश आचार्य, श्री अरविन्द दशोत्तर, निगम सचिव श्री जसवन्त जोशी, उपयंत्री सर्वश्री सुहास पंडित, बी.एल. चौधरी, विकास मरकाम, मनीष तिवारी, सिद्धार्थ सोनी, दीक्षा निजामपुरकर, श्रीमती अनिता ठाकुर, स्टेनोग्राफर श्री प्रमोद तिवारी, सिटी मैनेजर श्री कपील मारोठिया, श्री नितिन तिवारी,

कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्मा, श्री बी.एल. चावरे, उद्यान पर्यवेक्षक श्री धर्मेन्द्र दोगाया, श्री अनील पारा, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक आदि उपस्थित रहे।

श्रीजी व बालाजी डिस्पोजल से 374 किलो पॉलीथीन जब्त 5000 व 3000 का किया जुर्माना

50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन उपयोग प्रतिबंधित
उपयोग व भण्डारण पर होगी जब्ती व लगेगा दण्ड
खुले में कचरा डालने का विडियो मिलने पर किया जुर्माना

रतलाम 13 मार्च । शासन निर्देशानुसार नगरीय क्षेत्र रतलाम में 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व प्लास्टिक उपयोग प्रतिबंधित किये जाने के तहत कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है।

धानमण्डी क्षेत्र में श्रीजी डिस्पोजल से 242 किलो व बालाजी डिस्पोजल से 132 किलो 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्पॉट फाईन द्वारा जब्त की जाकर संबंधितों पर 5000 व 3000 का जुर्माना किया।

इसके अलावा काटजू नगर क्षेत्र में अशोक माहेश्वरी द्वारा खुले में कचरा जाता है इसका विडियो निगम को प्राप्त होने पर स्पॉट फाईन दल द्वारा विडियो के आधार पर संबंधित के घर जाकर 500 रुपये का जुर्माना कर भविष्य में खुले में कचरा ना डालने की समझाईश दी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र रतलाम में सब्जी, फल-फुट व अन्य सामग्री के फुटकर व्यवसायी अगर 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग करते हैं तो उन पर 50 रुपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी। इसी तरह दुकानदारों द्वारा 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का उपयोग व भण्डारण करता है तो उस पर 5000/- रुपये का अर्थदण्ड किया जाकर पॉलीथीन जब्ती की कार्यवाही की जायेगी।

नगर के नागरिक, दुकानदार व फुटकर व्यापारियों से अपील की जाती है कि वे 50 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व प्लास्टिक का उपयोग व भण्डारण ना करें।

जुर्माने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान व श्री पर्वत हाड़े, उप स्वच्छता निरीक्षक श्री विराट मेहरा आदि के द्वारा की गई। गंदगी व मलबा फैलाने, अतिक्रमण करने पर संबंधितों के विरुद्ध जुर्माना किये जाने का अभियान निरंतर जारी रहेगा।

सायर चबुतरा के पास सोमवार को लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर
नागरिकों ने 52,64,144/- संपत्तिकर व 11,89,835/- जलकर जमा कराया

रतलाम 13 मार्च । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर 18 जनवरी से आयोजित किये गये है जो 27 मार्च तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किश्त तथा भू-भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेंगे।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 1,10,000/- व जलकर 6,000/-, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1,40,000/- व जलकर 55,775/-, अम्बे माता जवाहर नगर शिविर में संपत्तिकर 2,38,000/- व जलकर 49,010/-, विनोबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,29,000/- व जलकर 43,670/-, अलकापुरी कम्यूनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 1,22,000/- व जलकर 29,280/-, तिरूपति शिविर में संपत्तिकर 77,000/- व जलकर 19,850/-, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 1,27,000/- व जलकर 48,220/-, मार्निंग स्टार स्कूल शिविर में संपत्तिकर 1,12,000/- व जलकर 14,000/-, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 5,47,000/- व जलकर 86,540/-, प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 1,02,000/- व जलकर 3,76,905/-, डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 1,82,500/- व जलकर 76,470/-, हाट रोड शिविर में संपत्तिकर 68,000/- व जलकर 47,595/-, कलीमी कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1,17,000/- व जलकर 22,680/-, राजेन्द्र नगर शिविर में संपत्तिकर 1,01,644/- व जलकर 55,320/-, काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 2,76,000/- व जलकर 59,500/-, वेदव्यास कालोनी शिविर में संपत्तिकर 26,62,144/- व जलकर 6,71,025/-, कल्याण नगर शिविर में संपत्तिकर 71,000/- व जलकर 19,000/-, दीनदयाल नगर शिविर में संपत्तिकर 2,47,000/- व जलकर 64,780/-, बोहरा बाखल शिविर में संपत्तिकर 4,92,000/- व जलकर 66,715/-, रामगढ़ शिविर में संपत्तिकर 1,60,000/- व जलकर 34,340/-, लक्कड़पीठा प्याऊ के पास शिविर में संपत्तिकर 2,30,000/- व जलकर 44,230/-, धानमण्डी शिविर में संपत्तिकर 2,07,000/- व जलकर 33,940/-, जूनि कोर्ट किरण टॉकिज शिविर में संपत्तिकर 1,84,000/- व जलकर 56,350/-, आनन्द कालोनी शिविर में संपत्तिकर 86,000/- व जलकर 35,140/-, प्रताप नगर शिविर में संपत्तिकर 1,16,000 व जलकर 57,670/-, महावीर नगर शिविर में संपत्तिकर 69,000/- व जलकर 21,185/-, पैलेस रोड शिविर में संपत्तिकर 3,50,000/- व जलकर 66,865/-, चौगानिया भेरू मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 1,15,000/- व जलकर 25,865/-, सायर चबुतरा शिविर में संपत्तिकर 93,000/- व जलकर 30,620/- की राशि जमा कराई। इस तरह नागरिकों ने अब तक आयोजित शिविरों में 52,64,144/- संपत्तिकर व 11,89,835/- जलकर की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरों के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 24, 25 व 42 के लिये 15 मार्च को शिक्षा विभाग सायर चबुतरा, वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 16 व 17 मार्च तक चौमुखीपुल प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 41 के लिये 18 से 19 मार्च तक बजाजखाना गणेश देवरी, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 20 व 22 मार्च को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 23 से 24 मार्च तक दो बत्ती चौराहा, वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 25 से 26 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहा व वार्ड क्रमांक 16 व 17 के लिये 27 मार्च को टाटा नगर में कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये हैं।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये हैं इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

अनुपस्थित 52 सफाई संरक्षकों का वेतन काटा

कारण बताओ सूचना-पत्र जारी

रतलाम 13 मार्च। निगम के चारो झोन के वार्डों की सफाई कार्य के निरीक्षण के दौरान नगर के विभिन्न वार्डों में 11 मार्च गुरुवार को बिना सूचना के 26 व 12 मार्च शुक्रवार को बिना सूचना के 26 सफाई संरक्षकों द्वारा अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक दिवस का वेतन काटा जाकर

अस्थाई कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त करने व स्थाई कर्मचारियों को निलंबित किये जाने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा 726 मवेशियों को पकड़कर गौशालाओं में भेजा

रतलाम 13 मार्च | रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा 13 अक्टूबर से अभियान चलाया गया तथा 12 मार्च तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 726 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 12 मार्च शुक्रवार को हाट राड व टीआईटी रोड से 2 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा पकड़े गये।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हे तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रुपये 500/- वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 सिंह, झोन प्रभारी श्री किरण चौहान, श्री पर्वत हाड़े व स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

खुले में गंदगी करने वालों की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 13 मार्च। नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में, नाले-नालियों में कचरा डालते है व 50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय, उपयोग व भण्डारण करते है उन पर जुर्माना किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दल का गठन कर स्पॉट फाईन हेतु वाहन भी उपलब्ध कराया है।

गठित दल में विराट मेहरा, उप स्वच्छता पर्यवेक्षक मो.नं. 9770326691 को दल प्रभारी नियुक्त किया है इसके अलावा मनोज टांक मो.नं. 7000848456, पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाश शिन्दे, मनोज झांझोट, राकेश ललावत दल प्रभारी के साथ रहकर नगर में नगर में ऐसे दुकानदार एवं नागरिक जो कि खुले में, नाले-नालियों में कचरा डालते है व

50 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन का विक्रय, उपयोग व भण्डारण करते हैं उन पर जुर्माना करेंगे व जो दुकानदार जुर्माने के बाद भी निरंतर गंदगी करते हैं उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही करेंगे।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी उक्त मोबाईल नम्बरों पर देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही
रतलाम 13 मार्च । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद हैं। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण की दी समझाईश स्वच्छता के लिये नागरिक दे रहे हैं फीडबैक

रतलाम 13 मार्च । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया द्वारा दिये गये निर्देशानुसार नगर के समस्त घरों, दुकानों आदि से 100 प्रतिशत गीला एवं सूखा कचरा पृथक-पृथक संग्रहित किये जाने हेतु नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम आस्था के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को स्वच्छता बनाये रखने गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक रखने की समझाईश दी जा रही है।

नगर निगम की सहयोगी संस्था टीम डिवाइन के सदस्यों द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर नागरिकों को गीले एवं सूखे कचरे के पृथक्कीकरण हेतु घरों एवं दुकानों में पृथक-पृथक कचरा पात्र रखकर पृथक-पृथक कचरा एकत्रिकरण व गीले एवं सूखे कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालने की समझाईश दी साथ ही नागरिकों से स्वच्छता हेतु स्वच्छता एप पर सिटीजन फीडबैक लिया।

सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागरिक स्वच्छता एप का उपयोग करें

रतलाम 13 मार्च । रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री गोपालचन्द्र डाड, निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई संबंधी शिकायत दर्ज कराने के लिये भारत सरकार द्वारा तैयार किये गये स्वच्छता एप की जानकारी निगमकर्मियों व नगर निगम की सहयोगी संस्था आस्था के सदस्यों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में नागरिकों को दी।

स्वच्छ भारत मिशन के तहत किये जा रहे स्वच्छता सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर 1 बनाने के लिये रतलाम नगर के नागरिक सफाई संबंधी शिकायत स्वच्छता एप दर्ज कराने के लिये अपने एन्ड्रॉयड मोबाईल पर गूगल प्ले स्टोर में जाकर स्वच्छता एप टाईप करें, उसके पश्चात एप को इन्सटाल करें। इन्सटाल करने के बाद एप्लीकेशन ओपन करके अपना मोबाईल नम्बर रजिस्टर्ड करें। इसके बाद अपना जीपीएस

ऑन करें इसके बाद आपकी सफाई संबंधी शिकायत का फोटो लेकर अपलोड करें। अपलोड की गई शिकायत नगर निगम के पास आयेगी ओर उसका तत्काल निराकरण किया जायेगा।

कचरा पृथक्कीकरण हेतु नागरिक एवं दुकानदारों को रखना होंगे 4 डस्टबीन खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालो पर सीसीटीवी से रखी जा रही है निगरानी अतिक्रमण व गंदगी करने पर होगा जुर्माना

रतलाम 13 मार्च । नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार एवं नागरिक जो कि अपनी दुकानों एवं घरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कचरा पृथक्कीकरण हेतु 4 डस्टबीन नहीं रख रहे है व दुकानों के सामने गंदगी व अतिक्रमण कर रहे उन पर निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्र रतलाम के दुकानदार अपनी दुकानों में गीले कचरे अर्थात कीचन में बनी हुई खाद्य सामग्री, फल-सब्जी के छिलके, घांस व पेड़ की पत्तियां, राख, चाय पत्ती, बचा हुआ खाना आदि के लिये हरा डस्टबीन, सूखा कचरा अर्थात पुस्टा, अखबार, लोहा, कपड़ा, शाल, कांच, पैकिंग मटेरियल, टुटे खिलौने, प्लास्टिक आदि के लिये नीला डस्टबीन, घरेलू हानिकार कचरे के लिये पेन्ट के डिब्बे, पेस्टीसाइड के डिब्बे, सीएफएल, ट्यूबलाईट, थर्मामीटर, बैटरी आदि के लिये काला डस्टबीन तथा मेडिकल वेस्ट अर्थात् सेनेटरी नेपकीन, डायपर, सुई, सिंरिज, मास्क, ग्लब्स, पीपीई कीट आदि के लिये पीला डस्टबीन रखकर अपने घरों एवं दुकानों तथा प्रतिष्ठानों में ही कचरे का पृथक्कीकरण कर निगम के कचरा संग्रहण वाहन के पृथक-पृथक भागों में डालकर कचरा पृथक्कीकरण कार्य में अपना सहयोग प्रदान करें। जो नागरिक या दुकानदार उक्तानुसार कचरे का पृथक्कीकरण नहीं करेगा व खुले में कचरा डालने वालो उन पर जुर्माने की कार्यवाही की जावेगी।

नागरिक एवं दुकानदार खुले में कचरा डालेंगे तो उन पर भी नगर निगम अमले द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की जायेगी। नगर के विभिन्न स्थानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से खुले में कचरा डालने व गंदगी करने वालों पर कन्ट्रोल रूम पर निगरानी रखी जा रही है। नगर निगम की टीम संबंधित के घर एवं दुकानों पर जाकर 5000-5000 हजार का जुर्माना करेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 13.03.2021 / न.पा.निगम, रतलाम.